इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2024—कार्तिक 2, शक 1946

### विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

फा.क्र. 84(04)—2024—चार—वि.निर्वा.—223.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 576—EXIT—2024—SDR—Vol—I, दिनांक 21 अक्टूबर 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

**राजेश कुमार कौल,** सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

सं. 576—एग्जिट—2024—एसडीआर—खण्ड—I नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

### अधिसूचना

**यतः, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/149/2024 एवं सं. ईसीआई/पीएन/150/2024 दोनों दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 द्वारा घोषित झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन और 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों (संलग्नक-1 के अनुसार) के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, और**

**2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है** *कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।*

*(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-*

*(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;*

*(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;*

*परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।*

*(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"*

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 13.11.2024 (बुधवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे से 20.11.2024 (बुधवार) अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान पूर्वोक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4.यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अंतर्गत पूर्वोक्त आम और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(एस.बी. जोशी)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

**अनुलग्नक-I**

| क्रम सं. | राज्य | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
|---|---|---|
| 1. | असम | 11-धोलाई(अ.जा.)वि.स.नि.क्षे. |
| 2. | | 31-सिड़ली(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 3. | | 32-बोंगाईगांव वि.स.नि.क्षे. |
| 4. | | 77-बेहाली वि.स.नि.क्षे. |
| 5. | | 88-सामगुड़ी वि.स.नि.क्षे. |
| 6. | बिहार | 196-तरारी वि.स.नि.क्षे. |
| 7. | | 203-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे. |
| 8. | | 227-इमामगंज(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 9. | | 232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे. |
| 10. | छत्तीसगढ़ | 51-रायपुर नगर दक्षिण वि.स.नि.क्षे. |
| 11. | गुजरात | 7-वाव वि.स.नि.क्षे. |
| 12. | कर्नाटक | 83-सिग्गाओं वि.स.नि.क्षे. |
| 13. | | 95-सन्डुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 14. | | 185-चन्नापटना वि.स.नि.क्षे. |

| | | |
|---|---|---|
| 15. | केरल | 56-पालाक्काड वि.स.नि.क्षे. |
| 16. | | 61-चेलाक्करा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 17. | | 4-वायनाड सं.नि.क्षे. |
| 18. | मध्य प्रदेश | 156-बुधनी वि.स.नि.क्षे. |
| 19. | | 02-विजयपुर वि.स.नि.क्षे. |
| 20. | महाराष्ट्र | 16-नांदेड सं.नि.क्षे. |
| 21. | मेघालय | 56-गम्बेगरे(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 22. | पंजाब | 10-डेरा बाबा नानक वि.स.नि.क्षे. |
| 23. | | 44-चब्बेवाल(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 24. | | 84-गिद्दड़बाहा वि.स.नि.क्षे. |
| 25. | | 103-बरनाला वि.स.नि.क्षे. |
| 26. | राजस्थान | 27-झुन्झुनू वि.स.नि.क्षे. |
| 27. | | 67-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे. |
| 28. | | 88-दौसा वि.स.नि.क्षे. |
| 29. | | 97-देवली-उनियारा वि.स.नि.क्षे. |
| 30. | | 110-खींवसर वि.स.नि.क्षे. |
| 31. | | 156-सलूम्बर(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 32. | | 161-चोरासी(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 33. | सिक्किम | 07-सोरेंग-चाकुंग वि.स.नि.क्षे. |
| 34. | | 11-नामची-सिंघीथांग वि.स.नि.क्षे. |
| 35. | उत्तर प्रदेश | 16-मीरापुर वि.स.नि.क्षे. |
| 36. | | 29-कुन्दरकी वि.स.नि.क्षे. |
| 37. | | 56-गाजियाबाद वि.स.नि.क्षे. |
| 38. | | 71-खैर(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 39. | | 110-करहल वि.स.नि.क्षे. |
| 40. | | 213-सीसामऊ वि.स.नि.क्षे. |
| 41. | | 256-फूलपुर वि.स.नि.क्षे. |
| 42. | | 277-कटेहरी वि.स.नि.क्षे. |
| 43. | | 397-मझवां वि.स.नि.क्षे. |
| 44. | उत्तराखण्ड | 07-केदारनाथ वि.स.नि.क्षे. |
| 45. | पश्चिम बंगाल | 06-सिताई(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. |
| 46. | | 14-मदारीहाट(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे. |
| 47. | | 104-नईहटी वि.स.नि.क्षे. |
| 48. | | 121-हरोआ वि.स.नि.क्षे. |
| 49. | | 236-मेदीनिपुर वि.स.नि.क्षे. |
| 50. | | 251-तालदनगरा वि.स.नि.क्षे. |

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi–110 001

No. 576-EXIT-2024-SDR-Vol.I New Delhi, Dated 21th October, 2024

## NOTIFICATION

**Whereas, the schedule for the current general elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand & Maharashtra and bye elections to 48 Assembly Constituencies and 2 Parliamentary Constituencies (as per Annexure-1), has been announced by the Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/149/2024 and No. ECI/PN/150/2024 both dated 15th October, 2024; and**

2. Whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that *"(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

*(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —*

*(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;*

*(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;*

*Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.*

*(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."*

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. on 13.11.2024 (Wednesday) and 6.30 P.M. on 20.11.2024 (Wednesday)** as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General and bye elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid general and bye-elections.

By order,
Sd./-
(S. B. JOSHI)
*Principal Secretary,*
*Election Commission of India.*

**Annexure-1**

| Sl. No. | Name of State | Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name |
|---|---|---|
| 1. | Assam | 11-Dholai(SC) AC |
| 2. | | 31-Sidli(ST) AC |
| 3. | | 32-Bongaigaon AC |
| 4. | | 77-Behali AC |
| 5. | | 88-Samaguri AC |
| 6. | Bihar | 196-Tarari AC |
| 7. | | 203-Ramgarh AC |
| 8. | | 227-Imamganj(SC) AC |
| 9. | | 232-Belaganj AC |
| 10. | Chhattisgarh | 51-Raipur City South AC |
| 11. | Gujarat | 7-Vav AC |
| 12. | Karnataka | 83-Shiggaon AC |
| 13. | | 95-Sandur(ST) AC |
| 14. | | 185-Channapatna AC |
| 15 | Kerala | 56-Palakkad AC |
| 16. | | 61-Chelakkara(SC) AC |
| 17. | | **4-Wayanad PC** |
| 18. | Madhya Pradesh | 156-Budhni AC |
| 19. | | 02-Vijaypur AC |
| 20. | Maharashtra | **16-Nanded PC** |
| 21. | Meghalaya | 56-Gambegre(ST) AC |
| 22. | Punjab | 10-Dera Baba Nanak AC |
| 23. | | 44-Chabbewal(SC) AC |
| 24. | | 84-Gidderbaha AC |
| 25. | | 103-Barnala AC |
| 26. | Rajasthan | 27-Jhunjhunu AC |
| 27. | | 67-Ramgarh AC |
| 28. | | 88-Dausa AC |
| 29. | | 97-Deoli-Uniara AC |
| 30. | | 110-Khinwsar AC |
| 31. | | 156-Salumber(ST) AC |
| 32. | | 161-Chorasi(ST) AC |
| 33. | Sikkim | 07-Soreng-Chakung AC |
| 34. | | 11-Namchi-Singhithang AC |
| 35. | Uttar Pradesh | 16-Meerapur AC |
| 36. | | 29-Kundarki AC |
| 37. | | 56-Ghaziabad AC |
| 38. | | 71-Khair(SC) AC |
| 39. | | 110-Karhal AC |
| 40. | | 213-Sishamau AC |
| 41. | | 256-Phulpur AC |
| 42. | | 277-Katehari AC |
| 43. | | 397-Majhawan AC |
| 44. | Uttarakhand | 07-Kedarnath AC |
| 45. | West Bengal | 06-Sitai(SC) AC |
| 46. | | 14-Madarihat(ST) AC |
| 47. | | 104-Naihati AC |
| 48. | | 121-Haroa AC |
| 49. | | 236-Medinipur AC |
| 50. | | 251-Taldangra AC |

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.